संख्या 1538/चौवालिस-2-72/86-89

प्रेषक,

श्री आर0 रमणी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य के समस्त सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/
नोयडा/बीडा के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक।

लखनऊ : दिनांक 4 जनवरी, 1990

विषय :- सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों आदि की सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करना।

महोदय,

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2

उपर्युक्त विषयक सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश सं0 536/44-2-72-86/88, दिनांक 12 अप्रैल, 1988 (प्रति संलग्न) के अनुक्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि सार्वजनिक उद्यमों/निगमों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उनमें कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों में उच्च कोटि की कर्तव्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा, कार्यकुशलता एवं दक्षता बनाये रखना नितान्त आवश्यक है। राज्याधीन सेवाओं में सरकारी सेवकों की कार्यकुशलता एवं दक्षता सुनिश्चित करने के लिए 50 वर्ष की आयु के उपरान्त उन्हें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किये जाने की व्यवस्था है। सार्वजनिक उद्यमों के सेवकों के संबंध में भी उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 12 अप्रैल, 1988 द्वारा उनकी कार्यकुशलता एवं दक्षता सुनिश्चित करने के लिए मापदण्ड निर्धारित किये जाने के दिशा निर्देश जारी किये गये थे। इसमें यह भी अपेक्षा की गयी थी कि कर्मचारियों की कार्यकुशलता का समुचित मूल्याकंन करने के बाद उनकी कार्यकुशलता में अपेक्षित सुधार के उपाय किये जायें और यदि इसके बावजूद कार्यकुशलता में गिरावट पाई जाय और सुधार की गुंजाइश न दिखाई दे तो ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध उन्हें सेवा से मुक्त करने या इसी प्रकार की कोई अन्य दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाये।

2- इसी संदर्भ में यह भी कहना है कि सार्वजनिक उद्यमों/निगमों के सेवकों के लिए प्रयुक्त सेवानियमावलियों में उन्हें 3 माह की नोटिस अथवा नोटिस के बदले 3 माह का वेतन देकर जनहित में किसी भी समय सेवामुक्त किये जाने की व्यवस्था पहले से है और सार्वजनिक उद्यमों द्वारा उद्यम की कार्यकुशलता तथा उत्पादकता में सुधार लाये जाने के उद्देश्य से उक्त प्राविधानों का उपयोग किया जाना चाहिए, परन्तु देखने में यह आया है कि सार्वजनिक उद्यमों द्वारा उनकी कार्यकुशलता तथा उत्पादकता में सुधार लाने की दिशा में उक्त प्राविधानों का समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है। इस विषय पर गम्भीरता पूर्वक विचार करने के उपरान्त राज्यपाल महोदय सांविधिक उद्यमों/निगमों से संबंधित अधिनियमों/नियमों, कम्पनीज ऐक्ट, 1956 अथवा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत सार्वजनिक उद्यमों के आर्टिकिल्स आफ एसोसिएशन के संबंधित आर्टिकिल तथा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक उद्यमों/निगमों पर नियंत्रण अधिनियम, 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-41, 1975) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित निर्देश देते हैं :-

(1) प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उद्यमों/निगमों के ऐसे कर्मचारियों, जिन्होंने 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, की कर्तव्यनिष्ठा, कार्यकुशलता एवं दक्षता सुनिश्चित करने के लिए उपर्युक्त मापदण्डों के अनुसार उनके कार्य का मूल्यांकन किया जाय और यदि उनके कार्य में अपेक्षित गिरावट परिलक्षित हो तो उन्हें उपर्युक्तानुसार सुसंगत नियमों के अन्तर्गत किये गये प्राविधानों का समुचित प्रयोग करते हुए सेवामुक्त किये जाने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही की जाय। उक्त कार्यवाही 50 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के सभी कर्मचारियों के संबंध में प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से की जाय। उपर्युक्तानुसार सेवामुक्त किये जाने वाला अधिकारी/कर्मचारी सुसंगत नियमों के अधीन सेवानैवृत्तिक लाभ, यदि कोई हो, का हकदार होगा।

(2) सर्वप्रथम उपर्युक्त सभी कर्मचारियों का मूल्यांकन आगामी 3 माह के अन्दर करते हुए उक्त कार्यवाही अनिवार्य रूप से पूरी कर ली जाय और भविष्य में प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से की जाती रहे।

(3) प्रदेश के जिन सार्वजनिक उद्यमों/निगमों आदि की सेवानियमावली में प्रस्तर-2 के अनुसार व्यवस्था नहीं है अथवा उनके यहां अभी कोई सेवा नियमावली लागू नहीं है तो कर्मचारियों के सुसंगत सेवा नियमों/आदेशों में निम्नलिखित प्राविधान निदेशक मण्डल के औपचारिक अनुमोदन से अनिवार्य रूप से तत्काल जोड़ दिया जाय ताकि उनके यहां भी उक्त कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके :-

(अ) जब तक कि निगम और नियमित कर्मचारी के बीच लिखित रूप में अन्यथा कोई समझौता न हुआ हो, कोई कर्मचारी, निगम को अपने ऐसे इरादे की लिखित रूप में कम से कम तीन माह की नोटिस देकर अथवा नोटिस की अवधि के वेतन के समतुल्य धनराशि या उस अवधि के जितनी कि उक्त तीन माह की अवधि से उक्त नोटिस की अवधि कम पड़े, वेतन के समतुल्य धनराशि, जैसी भी स्थिति हो, का भुगतान करके किसी समय निगम की सेवा से त्याग-पत्र दे सकता है।

(ब) जब तक कि निगम और नियमित कर्मचारी के बीच लिखित रूप में अन्यथा समझौता न हुआ हो, निगम को अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण दिये किसी कर्मचारी की सेवाएं, उसे लिखित रूप में कम से कम तीन माह का नोटिस देकर अथवा नोटिस की अवधि के

वेतन के समतुल्य धनराशि या उस अवधि के जितनी कि उक्त तीन माह की अवधि से उक्त नोटिस के अवधि कम पड़े, वेतन के समतुल्य धनराशि जैसी भी स्थिति हो, देकर समाप्त कर सकता है ।

(स) नियमित कर्मचारियों से भिन्न अन्य कर्मचारियों की सेवाएं किसी भी समय बिना कारण दिये उसे एक माह का नोटिस या उसके एवज में वेतन और भत्ते देकर समाप्त की जा सकती है ।

(द) किन्तु जब किसी कर्मचारी की सेवा किसी अपचारपूर्ण कृत्य के दण्डस्वरूप समाप्त की जाय या कर्मचारी सेवानिवृत्त अथवा अधिवर्षता आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो तब यथा उपर्युक्त नोटिस या उसके एवज में वेतन का भुगतान किया जाना वांछनीय नहीं होगा ।

3- कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में निर्गत आदेशों से शासन को भी अवगत कराया जाय ।

4- कृपया इस शासनादेश की प्राप्ति भी स्वीकार करने का कष्ट करें ।

संलग्नक - यथोक्त ।

भवदीय,
आर0 रमणी,
सचिव।

संख्या ।538(।)/चौवालिस-2-72/86/ 89, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(।) सार्वजनिक उद्यमों/निगमों से संबंधित शासन के प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव ।
(2) सार्वजनिक उद्यमों/निगमों से संबंधित सचिवालय के प्रशासनिक अनुभाग ।
(3) सचिव, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
(4) कार्मिक अनुभाग-।
(5) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ ।
(6) सचिव, सहकारिता विभाग को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया अपने नियंत्रणाधीन सहकारी संस्थाओं में भी सुसंगत नियमों/अधिनियमों/विधियों के अन्तर्गत उपर्युक्तानुसार आदेश जारी करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें ।
(7) सचिव, मुख्य मंत्री जी ।

आज्ञा से,
आर0 एन0 सिन्हा,
अनु सचिव।